

प्रारूप-2
(नियम-24(1) देखें)

झारखण्ड सरकार,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

संo- 09/2012

तारीख-07/08/2012

भवन निर्माण और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनिमय और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा-7 की उपधारा-3 के और अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों के अधीन, उपावद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए Green Ville, Village-Muramkala, PO.-Ramgarh, Dist.-Ramgarh को निम्नलिखित विशिष्टयों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

1- नियोजक का नाम और पता—

Pradeep Modi, Gandhi Chowk, upper
Bazar, Ranchi

MuramKala, NH-33, Ramgarh

2- उस स्थान का डाक पता/अवस्थिति जहाँ नियोजक द्वारा—

भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है।

3- स्थापन का नाम और स्थायी पता

Green Ville, C/O- Pradeep Modi, Gandhi

Chowk, Upper Bazar, Ranchi

Multi Stories Building

4. उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार —

नियोजित हैं या नियोजित किये जाने हैं।

5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले—

भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या

50 Labour

संशोधित

उपावद्ध

५०८०-३०८०-१५
७०८०-३६२००

6. कार्य के प्रारम्भ होने और समाप्त होने की समावित तारीख—

Aug 2012 to July 2015-2017

7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोज के लिए सुसंगत अन्य-

विशिष्टियां।

Rs. ३६२.००
२६.७.१७
Aug 17 to July 2019 रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

भवन एवं अन्य सन्तुष्टीकरण कर्मकार
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम
भवन एवं अन्य सन्तुष्टीकरण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत, रामगढ़।)
उपावद्ध (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1948 के अन्तर्गत, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
अधिनियम 1948 के अन्तर्गत, रामगढ़।

यहाँ उपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अस्थानांतरणीय होगा,

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापना में भवन निर्माण कर्मकारों की संo- 50

(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान के लिए संदर्भ की गई फीस अप्रतिदेय होगी, Rs. 362, SBI

Ramgarh in A/C No.- 30613895935

(घ) भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजन द्वारा से देय मजदूरी दरों, ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,

1948(1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहाँ दरे किसी करार, समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई है, वहाँ इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी।

(ङ) नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।